[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो पड़ोस से जानकारी ले लीजिए, इतनी दूर की यात्रा क्यों करते हैं?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कृपया जवाब दें। यह एक ऐसा मामला है जिसे मेरे मित्र अयोध्या का एक ढ़ाचा कहते हैं जिसे हम बाबरी मस्जिद कहते हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित विषय-वस्तु है। राज्य सरकार ने सर्वोत्तम न्यायलय और राष्ट्र को इसे बचाने एक का आश्वासन दिया था। आपने क्या किया? उसे बचाने के लिए आपकी सरकार और आपकी पार्टी ने क्या किया?...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : यह कितने वर्षों तक जारी रहेगा? वे इसके लिए क्या मांग रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस घटना की निन्दा के लिए एक भी शब्द नहीं कहा गया। हम जानना चाहते हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : उनके पास कहने के लिए एक ही शब्द है कि वे धर्म-निरपेक्ष हैं...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए। मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा। एक बहस होने दीजिए। आप एक समय निर्धारित कीजिए और हम इस पर व्यापक चर्चा करेंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं समाप्त कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सर्वोच्च न्यायालय के पास लम्बित मामले के कारण उस विधेयक में अयोध्या की मस्जिद का जिक्र नहीं किया गया। यह उत्तरदायित्व लिया गया था कि मजिस्द की सुरक्षा की जायेगी। अतः इनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं नये प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि देश आम-सहमति के आधार पर चलना चाहिए, मुठभेड़ की भावना से नहीं, संघर्ष की भावना से नहीं। देश में विदेश नीति के सवाल पर आम-सहमति बहुत पहले से रही है और श्री गुजराल ने विदेश मंत्री के नाते से आम सहमति से आगे बढ़ने का प्रयास किया है, उसको पुष्ट करने का प्रयास किया है। उन्हें सफलता भी मिली है। पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधरें, हम भी यह चाहते हैं। हम इसी बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि कहीं हमारी उदारता को पड़ोसी हमारी दुर्बलता न समझे, उसका अनुचित लाभ उठाने की कोशिश न करे। ताली दोनों हाथों से बजती है।

लेकिन जहां तक देश को चलाने का सवाल है, अगर नये प्रधान मंत्री आम सहमति के आधार पर सब को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो हम उन्हें अपने रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देते हैं और हम चाहेंगे कि देश आगे बढ़े। मतभेदों के बावजूद आगे बढ़े, सत्ता के संघर्षों के बावजूद आगे बढ़े और उसे आगे बढ़ाने का एक तरीका है कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, इतना पुराना देश अगर चलेगा तो आम सहमति के आधार पर ही चलेगा और प्रधान मंत्री अगर उस रास्ते पर जाना चाहते हैं तो हमें बहुत दूर नहीं पाएंगे।

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

बहुत अच्छे। नहीं मुझे हिन्दी प्रयोग में कोई मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ यह सोच रहा था...*(व्यवधान)* आपकी आवाज मैंने सुन ली है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सब शोर क्यों मचा रहे हैं? भाषान्तरण सुविधा यहां उपलब्ध है। आप इस तरह अपनी मांग नहीं रख सकते। प्रधान मंत्री जिस भाषा में बोलना चाहें वह उनकी इच्छा है।

श्री आर॰ ज्ञानगुरूस्वामी (पेरयाकुल्लम्) : उन्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए।

श्री एस॰के॰ कारवींधन (पलानी) : उत्तर अंग्रेजी में क्यों न हो?

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह का मोन नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि मैंने आपकी आवाज सुन ली है और सुबह से मेरे बोलने के बाद मेरे मित्र मुझे मिले भी थे, उन्होंने इस बात की सराहना की थी कि मैंने इस पद से पहली तकरीर जो की है, वह मैंने हिन्दी में की है।

हिन्दी मेरी भी मातृभाषा है, मैं भी उसी जुबान में पला हूं और उसी संस्कृति की नुमाइन्दगी मैं भी करता हूं, जिससे यह भाषा पैदा होती है। देश में यह भाषा बाहर से नहीं आई थी, चाहे बात हिन्दी की हो, चाहे बात उर्दू की हो, इसी धरती से पैदा हुई थी,

अपराह्न 9.00 बजे

इसलिए जब मैं वह भाषा बोलता हूं जो आम आदमी समझता है तो मैं न कोई पंडित हूं, न ज्ञानी हूं, न मौलवी हूं। मैं तो सिर्फ एक बात समझता हूं, वह यह कि इस पद से जो भी बोले, चाहे किसी भी भाषा में बोले उसका लाइन आफ कम्युनिकेशन अपने लोगों के साथ होना चाहिए। मैं अंग्रेजी में इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा था कि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आज भी हिंदी को नहीं

समझते। क्योंकि मैं यहां से बात कर रहा हूं, सुबह मैंने हिंदी में जिक्र किया था, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस वक्त अंग्रेजी में बात करूं ताकि उन लोगों तक भी मेरी बात पहुंच सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, सदन में विश्वास मत प्राप्त करते हुए जो कुछ मैंने सुबह कहा था, उसको आगे जारी रखते समय, किसी का बचाव अथवा किसी की आलोचना करने का मेरा कोई विचार नहीं, वह मेरा उद्देश्य ही नहीं था। मेरा मूलतः यदि उद्देश्य था कि सुबह सदन में मैंने जिन वचनबद्धताओं का उल्लेख किया था, उन पर दृष्टिपात करूं। चर्चा इस रूप में उजागर हुई है, कि जिससे दो बातें उभर कर सामने आई हैं। पहला यह कि सदन के सभी वर्गों ने अपने भाषणों में मेरे नाम का उल्लेख करने का प्रयास किया है जिसके लिए मैं आभारी हूं और इससे मुझमें और विनम्र भाव पैदा हुआ है। इस स्थान पर खड़े होकर बोलते हुए जब मैं इसके इतिहास को देखता हूं कि मुझे तीन विचार दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम यह कि जवाहर लाल नेहरू ने इसी पद को सुशोभित किया। दूसरा विचार कि श्रीमती इन्दिरा गांधी इसी पद पर आसीन रहीं। तीसरा कि लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस पद को सुशोभित किया। महान हस्तियों के समक्ष मैं अपने को अदना व्यक्ति पाता हूं। परन्तु आपने मुझे सम्मानित किया है; अतः मैं आपका आभारी हूं। आप जितना अधिक मुझे सम्मान देते हैं उतना अधिक ही मैं विनीत होता हूं।

[हिन्दी]

जिसे हिन्दी में नम्रता कहते हैं। मैं नम्रता से बात करता हूं और कहना चाहता हूं जो वादे मैंने सुबह किए थे, उन पर कायम रहना चाहता हूं। दूसरी बात आने से पहले एक बात साफ कर दूं कि मैंने सुबह से एक बात शुरू की थी।

[अनुवाद]

आज सुबह मैंने कहा था कि मैं भारत की स्वतन्त्रता की पचासवीं वर्षगांठ पर बोल रहा हूं। यह पचासवां वर्ष केवल संख्या मात्र नहीं है क्योंकि वर्ष तो बीतते ही जाते हैं। आप इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकते; चाहे हम किसी व्यक्ति की आयु के बारे में सोचें; राष्ट्र के विकास के बारे में सोचें या इतिहास के विकास के परिप्रेक्ष्य में देखें। कुछ कारक ऐसे हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं और सालों के बीतने की प्रक्रिया इसका एक उदाहरण है। अतः भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर केवल मैं नहीं—मेरे विचार से सदन के सभी वर्ग, अतीत की ओर तथा वर्तमान की एक झांकी देखना चाहेंगे।

सुबह भी मैंने अपने मित्रों को याद दिलाया था, कि केवल मैं अकेला ही नहीं परन्तु मेरे वे मित्र भी जो यहां बैठे हुए हैं स्वतन्त्रता संग्राम की विरासत पर गर्व से दृष्टिपात करेंगे। स्वतन्त्रता संग्राम केवल मात्र एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं लड़ी गई। केवल एक विशिष्ट पार्टी द्वारा नहीं : चाहे कांग्रेस ही उसका नाम रहा हो। कांग्रेस तो एक मंच था, और उसके आयाम इसके कहीं बड़े थे, जितना आज पार्टी समझती है।

मुझे नहीं पता सदन के कितने सदस्य उस परम्परा का स्मरण करना चाहेंगे जब कांग्रेस न केवल यह बता रही थी कि वह उपनिवेशवाद से क्यों लड़ रही है और इसका क्यों विरोध कर रही है अपितु साथ-साथ ही साथ वह कदम-दर-कदम भारतीय के भविष्य का भी निर्माण कर रही थी। विश्व में अन्य स्वतन्त्रता संग्रामों की तुलना में हमारा स्वतंत्रता संग्राम एक अर्थ में एक अद्वितीय था क्योंकि हम साम्राज्यवाद के विरूद्ध संघर्ष करते हुए भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे थे।

हमारे पूर्वजों अथवा संविधान के निर्माताओं जो भी उन्हें कहें, चाहे वह महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या मौलाना आजाद थे, उन्होंने भारत के भविष्य को नई दिशा दी। भारत का संविधान मात्र एक दस्तावेज नहीं है। चाहे हम इस बात में गर्व महसूस करते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण करने में बाबा साहेब अम्बेडकर का भारी योगदान था, तो भी यह केवल एक पुस्तक मात्र नहीं; परन्तु इसमें स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान किए गए वायदे को बताया गया है।

इसमें एक वायदा था-लोकतंत्र। दूसरा था—भारत की एकता और इस एकता में विभिन्नता का तत्व विद्यमान रहना। इसको इस रूप में निरूपित किया गया है कि जैसा कि सुबह मैंने हिन्दी में कहा कि हम अलग-अलग धर्मों के मानने वाले हैं। हमारे रहन सहन के ढंग अलग-अलग हैं, हम भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते हैं : परन्तु फिर भी हम एक हैं। स्वतन्त्रता संघर्ष ने हमें संगठित किया—यह स्वतन्त्रता संग्राम की देन में से एक देन है। जैसे कि मेरे मित्र श्री चिदम्बरम कह रहे थे इस संघर्ष ने हमें उदारवादी दृष्टिकोण भी दिया। यह उदारवादी दृष्टिकोण, मेरे स्कूल या कालेज की पढ़ाई से नहीं उपजा; न यह मेरे द्वारा तैयार किया गया। यह मुझे स्वतन्त्रता संघर्ष करने वाले नेताओं से मिला। उनका मानना था कि बगैर दिलों-दिमाग को खुला रखे, अपने विचारों और दृष्टिकोण को व्यापक बनाए, अन्यथा आप भारत का नेतृत्व नहीं कर सकते। हम इसी का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भारत की विरासत में विद्यमान है। मैं तो आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि चाहे इतिहास से या भाग्य से मैं इस पद पर पहुंचा हूं, मैं इस विरासत को अक्षुण्य रखना चाहता हूं।

इसी विरासत ने भारत के भविष्य सम्बन्धी उपधारणाएं भी रची हैं। जैसा कि मैंने कहा इसने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय से भी कुछ वायदे किए थे। जब मैं युवावस्था में था, आप में से कुछ भी उस समय इसी युवावस्था में होंगे जब स्वतन्त्रता संघर्ष चल रहा था, गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। उन्होंने भूख-हड़ताल क्यों की? जवाहर लाल नेहरू ने उस समय इस विषय पर एक लेख लिखा और मुझे वह लेख याद है। गांधी जी ने उपवास क्यों किया? उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि गांधी जी स्वतन्त्रता संग्राम की गाड़ी को पटरी से उतार रहे हैं। उन्होंने कहा, "शायद वे लोगों का ध्यान मुख्य संघर्ष से हटाना चाहते हैं।" वे इस बात पर जोर देने के लिए उपवास पर रहे थे कि "प्रत्येक मनुष्य को मन्दिर जाने का हक है।" यह गांधी जी का व्याख्यान था इसीलिए वह महात्मा बने और इसी तत्व ने उन्हें बाकियों से ऊपर रखा। जब वह अपने से ऊपर उठे तो उन्होंने उस व्यक्ति की व्यथा को देखा जिसे मन्दिर में घुसने की

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

अनुमति नहीं थी। उन्होंने देखा कि किस प्रकार उसको दबाया जाता है। और जब उन्होंने उस व्यक्ति के अनादर और उसके प्रति की गई अमानवता को देखा तो उन्होंने कहा, "इससे तो अच्छा है कि मैं जीवन बलिदान करूं, जब तक वह मन्दिर में प्रवेश न कर पाएं।" गांधी जी स्वयं कभी मन्दिर नहीं गए। वह धार्मिक प्रवृत्ति वाले इन्सान थे परन्तु मन्दिर जाने वालों में नहीं थे। वे सुधारवादी नहीं थे, वे धार्मिक पुनर्जागरण के पक्षधर भी नहीं थे। वे इतिहास के ऐसे सर्वाधिक आधुनिक व्यक्ति जिन्होंने धरती पर जन्म लिया है। उन्होंने हमारे सामाजिक चिन्तन को बिल्कुल बदल दिया।

मुझे फिर याद आता है यदि मैं जरा सा आत्म-संस्मरणों की ओर अभिमुख होता हूं कि जब पहली बार मेरी मां जेल गई तो मेरी दादी कई दिनों तक रोती रही और उन्होंने कहा वे इसलिए नहीं रो रही कि उनकी बेटी जेल गई हैं, अपितु इसलिए कि वे अपने गांव वालों को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही क्योंकि वे कहेंगे "आपकी बेटी तो जेल गई है।" गांधी जी ने जेल जाने की महत्ता को बढ़ा दिया और जेल जाना इज्जत का प्रतीक हो गया। उन्होंने हमारे मूल्यों में आमूल परिवर्तन कर दिया। उन्होंने मूल्यों को इसलिए बदला ताकि मनुष्यों के साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार हो। हम हिन्दु हो सकते हैं, हम मुसलमान हो सकते हैं; मैं जातियों का बखान नहीं कर रहा वे तो बहुत हैं परन्तु फिर भी भारत में एकता है। भारत की एकता कभी भौतिक एकता नहीं हो सकती, हम यहां के कानूनों या संविधान बनाने के अर्थों में राष्ट्र को संगठित नहीं बनाते; हम दिलों को एक करते हैं।

वहां पर बैठे मेरे मित्र मुसलमानों की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ सिक्खों की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं, और अन्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं। वे सब मनुष्य मात्र के द्योतक हैं। वे सब आकांक्षाओं के द्योतक हैं। वे सब इस राष्ट्र में अपने अस्तित्व को प्रतिपादित करते हैं; उन्हें जोड़ों और भारत जुड़ जाएगा, उन्हें तोड़ो और भारत बिखर जाएगा।

आज हम क्या चर्चा कर रहे हैं? क्या हम सेकुलरिज्म की परिभाषा देने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम इस 'वाद' और उस 'वाद' और उस 'वाद' को परिभाषा देने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हम पी॰एच॰डी के लिए थीसिस लिख रहे हैं? क्या हम हारवर्ड विश्वविद्यालय जा रहे हैं उन्हें यह बताने कि हम उनके विषय में क्या सोचते हैं? हमने अपने अनुभवों की परिधि में यह सब विस्थापित कर दिया है, हमने अपनी विरासत के अर्थों में उसे अभिव्यक्त कर दिया है। यदि इन तीन बातों को ध्यान में रखा जाएं तो सब काम अपने आप सही चलेंगे।

सदन में हम सबकी राय भिन्न-भिन्न हो सकती है। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत आदर करता हूं। जब वे विदेश मंत्री थे तो मैं राजदूत था। मैं उनके मूल्यों से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि उनकी आस्थाएं क्या हैं और इसी कारण मैं उनका आदर करता हूं। हम सबके विचार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं और यही तो लोकतंत्र है। यदि विचारों में भिन्नता हो तो क्या किया जा सकता है?

श्रीमती सुषमा स्वराज यही बैठी हुई हैं। वे भाषणकला में बहुत निपुण हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे उत्तर दूं। उर्दू का एक शेर मुझे याद आता है :—

[हिन्दी]

तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो
मैं तुमको देखूं या तुमसे बात करूं।

स्थिति यह है। परन्तु मैं सोचता हूं हम एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जहां हमें बहुत सी बातें देखनी होती हैं। सुबह हम भारत की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे। हम जानते हैं कि सोवियत यूनियन जैसा एक विशाल देश बिखर गया। यह क्यों हुआ? मुझे लगता हैं मेरे से अधिक तो यह बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी बता सकते हैं। मैं उनके समाज में पांच वर्ष तक रहा उसमें सब कुछ था जो लम्बे अरसे तक चलता, जिसमें टैंक थे, विमान थे परन्तु फिर भी सब बिखर गया। आन्तरिक सुरक्षा वहां नहीं थी। लोग आन्तरिक सुरक्षा में आस्था खो चुके थे।

अभी-अभी मैं वहां गया और मैंने उन दिनों के एक पुराने मित्र को, जो नई प्रणाली में महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत है, पूछा, "मुझे तो बहुत अचम्भा हुआ है। मैं पांच वर्ष तक यहां रहा सब कुछ सामान्य लगा फिर ऐसा क्यों हुआ?" मैं इस सज्जन का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि शायद वह इससे झेंप जाए परन्तु उन्होंने मुझे बताया कि वह केवल एक ही बात बता सकते है कि उनके वहां राज सत्ता कभी नहीं थी केवल पार्टी की सत्ता रही और जब वह पार्टी दूर गई, तो राज्य भी बिखर गया।

इस परिस्थिति से हम बचाव करना चाहते हैं। हम ऐसी कोई स्थिति पैदा होने नहीं देना चाहते जिससे राष्ट्र का महत्व किसी अन्य से कमतर हो। राष्ट्र सर्वोच्च निकाय है और वह किसी एक पार्टी की सम्पत्ति नहीं है; राष्ट्र किसी एक विचारधारा का बन्दी नहीं होता, वह किसी एक भी धर्म का अनुयायी भी नहीं होता; वह हम सबका है और यह भारत देश, जो अब तक हमेशा जिन्दा रहा है—वह शानदार भारत देश है और हम सब की उसमें आस्था है। अब राष्ट्र लोगों के माध्यम से चलता है; देश संस्थाओं के माध्यम से चलता है और न्यायपालिका इन्हीं का एक हिस्सा है। यदि हम न्यायपालिका से कोई वायदा करते हैं और इसे पूरा नहीं करते तो इससे देश को, राष्ट्र को नकुसान होगा। आइये, हम ऐसा न करें। राष्ट्र इस सदन के माध्यम से भी अभिव्यक्त होता है। यदि हम वास्तविकता का निरूपण नहीं करते और उसका आदर नहीं करते, तो आप मेरे साथ नहीं चल सकते और राष्ट्रपति जी मुझे गिरफ्तार नहीं करवा सकते, परन्तु इससे देश का, राष्ट्र का अहित होगा। जब राष्ट्र का अहित होगा तो मेरे विचार से देश का भविष्य भी खराब होगा। यदि बहुत से लोगों की देश में आस्था समाप्त हो जाती है तब भी देश का अहित होता है; जब युवा बेरोजगार रहते हैं तो भी देश का अहित होता है; देश में इसकी आस्था समाप्त हो

जाती है—पहले सरकार में, फिर देश में। किसी सरकार को आप विश्वास मत के विरूद्ध वोट देकर गिरा सकते हैं; लेकिन उससे राष्ट्र को क्षति पहुंचती हो। अतः क्षति पहुंचाने की इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए।

जब हम धर्म-निरपेक्षता की बात करते हैं अथवा अपने बीच किसी प्रकार की एकता के बारे में चर्चा करते हैं तो वास्तव में हम राष्ट्र की सुरक्षा करना चाहते हैं। फिर यह एक प्रकार की वचनबद्धता है जिसे मैं पूरा करना चाहूंगा। परन्तु साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे सामाजिक जीवन के भी बहुत से आयाम हैं। हम हमेशा इस तथ्य पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश में किसानों का महत्व हैं वाकई, है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति ने कहा, "जय जवान, जय किसान" इस नारे से वह कुछ कहना चाहते थे, यह मात्र नारा नहीं था। वह भारत का निर्माण कर रहे थे। वे जानते थे, कि भारतीय समाज में इन दो घटकों का विशेष महत्व होगा। मैं भी इसके प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराता हूं।

उन सब मामलों के प्रति भी मैं अपनी वचनबद्धता देता हूं जो नीतियों से सम्बन्धित है। अटल जी ने यह बिल्कुल सही कहा, मैं उनसे सहमत हूं और मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं। हमारी विदेश नीति की सफलता का रहस्य क्या है? वह इसलिए सफल नहीं हुई क्योंकि जवाहर लाल नेहरू ने इसका निर्माण किया; यह इसलिए सफल हुई क्योंकि जब अटल जी उसी पर आसीन हुए तो उन्होंने भी वही बात दोहराई। जब मैं इस पद पर पहुंचा तो मैंने भी वही बात कही और जब श्री नरसिंह राव उस आसन पर आए तो उन्होंने भी वही बात कहीं, जब श्री चन्द्रशेखर उस पद पर आसीन हुए तो उन्होंने भी वही बात कही; इसी का नाम भारत है और यही भारत की विदेश नीति की सफलता का रहस्य है। कभी-कभी ब्यौरों के सम्बन्ध में हम सबने मतभेद हो सकते हैं और कभी-कभी प्रारूपण के समय भी परन्तु सर्वसम्मति का मूल अर्थ यही है कि हम उसे बरकरार रखते हैं। श्री नरसिंह राव हर वर्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र संघ पें क्यों भेजते रहे? वे मुझे मानव अधिकार आयोग में क्यों प्रतिनियुक्त करते रहे जब एक ऐसे पड़ोसी से हमारा मुकाबला चलता रहा जिसके नाम का उल्लेख मैं नहीं करना चाहता।

उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह एक ऐसा संदेश देना चाहते थे जो प्रत्येक प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जब भी मैं विदेश जाऊंगा तो मैं वह संदेश हमेशा देता रहूंगा कि हम भारतीय हैं और हम एक हैं। हम दलों के प्रतिनिधि मात्र नहीं हैं; हम मात्र मतभेदों को अभिव्यक्त करने वाले नहीं; हम भारतीय एकता के प्रतीक हैं। यही कारण है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले सत्र के शुरू होने तक मेरा यह सौभाग्य हुआ कि मैं इस पद पर आसीन रहूं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तब भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ही हमारे प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व करें, उन्होंने इतनी अच्छी तरह यह कार्य अंजाम दिया कि मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। केवल इतना ही नहीं, वे स्वाभाविक उच्च्य सम्पन्न व्यक्तित्व के स्वामी हैं। हम भारत-वासियों को इस तथ्य पर गर्व है और हमारे लिए यह गौगर्व का विषय है। हमें इस बात पर गर्व है कि जब कभी भी हम विदेश जाएं, चाहे मैं जाऊं या श्री पी॰वी॰ नरसिंह राव या मेरे मित्र श्री चन्द्रशेखर या मेरे मित्र श्री शरद पवार वे वहां वैसा ही आचरण करेंगे जैसा श्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार निम्नलिखित शब्दों में बयान किया था :—

> "विदेश में मैं कभी अपने देश की आलोचना नहीं करूंगा और देश के अन्दर आलोचना करनी कभी छोडूंगा नहीं।"

अतः यह हमारा आगे बढ़ने का ढ़ंग है और इसी आधार पर हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है।

हर विभाग जो नए-नए प्रधानमंत्री को नोट भेजता है, मैंने भी वह मंगाए थे। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आप स्वयं एक मंत्री रह चुके हैं; अतः आप इस प्रक्रिया से अवगत रहे होंगे। आप जानते हैं कि इस प्रारूप को न तो मैं तैयार करता हूं न आप तैयार करते हैं यह हमारे पास आते हैं। मैं इन्हीं नोटों का विस्तार दे सकता था और यही समय हर विभाग की नीति बताने में व्यतीत कर सकता था। परन्तु मैं जानता हूं कि समय पूरा हो चुका है। इस उद्देश्य के लिए अब मैं आपका समय नहीं लूंगा। अगले सप्ताह जब बजट पर बहस होगी तब मैं कुछ समय लूंगा क्योंकि नीति-निरूपण का सही समय मेरे लिए तब होगा। इस समय तो मुझे कुछ उपधारणाओं का निरूपण करना है और राष्ट्र को दो बातों के लिए आगाह करना है।

मैं फिर उर्दू का शेर सुनाता हूं :—

[हिन्दी]

> *"आईने नौ से डरना, तरजे कोहन पे अड़ना,*
> *मंजिल भी कठिन है, कौमों की जिन्दगी में।"*

यह हमारे लिए मुश्किल की घड़ी है और हमें इस मुश्किल की घड़ी को पार भी करना है, इससे ऊपर भी उठना है और इस संकटपूर्ण स्थिति रूपी नदी को इकट्ठे तैर कर पार करेंगे। अपने इतिहास में हमने ऐसे क्षण भी देखे हैं जब हमने गल्तियां कीं, परन्तु यदि हमने वो गल्तियां न की होती तो हम उन परिस्थितियों को पार भी न कर पाते।

फिर से एक उर्दू के शेर की ओर आपका ध्यान दिलाकर मैं अपना भाषण सम्पन्न करूंगा :—

[हिन्दी]

> *"वो वक्त भी देखे हैं तवारीख की राहों ने*
> *लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई।"*

[अनुवाद]

मैं राष्ट्र को नष्ट नहीं होने देना चाहता। मैं केवल एक वचन देता हूं। इस राष्ट्र में जो मेरी निष्ठा है, इस राष्ट्र की विरासत में जो मेरी निष्ठा है और श्री जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्र में जिस विश्वास की जो प्रतिज्ञा की थी, उसके प्रति जो मेरी मूल निष्ठा है, उसमें से मेरी यह वचनबद्धता उपजती है। उन्होंने अपने लिए इसका निरूपण नहीं

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

किया; उन्होंने हम सबके लिए वह प्रतिज्ञा की; उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए वह प्रतिज्ञा की। मुझे लगता है कि अब यह उत्तरदायित्व हमारे ऊपर आ पड़ा है कि हम उसे साकार करें। हम इक्कीसवीं शताब्दी के सपने को साकार करें, हमें राजनीतिक दूरदर्शिता अपनानी चाहिए। दूरदर्शिता हमेशा दोषशून्य साबित होगी। यह आदर्श आईने हैं। जहां तक राजनीतिक विचारधारा का सम्बन्ध हैं, मैं इन्हें पहने रखने का प्रयास करता हूं। चलिए हम सब एक दूसरे से भिन्न-भिन्न विचारधारा रखें। कभी-कभी तो भिन्न-भिन्न विचार रख सकते है; कभी-कभी हम असहमत हो सकते हैं। परन्तु चलिए हम हर समय यह स्मरण रखें कि भारतीय स्वतन्त्रता की आजादी की इस पचासवीं वर्षगांठ वाले वर्ष में हम कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। मैं जिस सर्वसम्मति कार्यान्वित करने का प्रयास करता हूं, उसी को अमलीजामा पहनाने की कोशिश करता रहूंगा और मुझे खुशी है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की विदेश नीति के इस पहलू की प्रशंसा की है। इस सर्वसम्मति के आधार पर मुझे दृढ़ विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी हमें भारत पर नाज रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में अपना विश्वास प्रकट करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 9.28 बजे

[अनुवाद]

सभा की बैठकों के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि लोक सभा के कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियम 33 के अन्तर्गत आवश्यक दस दिन की न्यूनतम निर्धारित अवधि, प्रश्नों को पटल पर रखने के लिए, 30 अप्रैल और 2 मई, 1997 के लिए नहीं है, अतः इन दो दिनों के लिए मैंने प्रश्न काल न रखने का निर्णय लिया है। 5 मई, 1997 से प्रश्न काल नियमित रूप से शुरू हो जायेगा। प्रश्नों की सूचना देने की अन्तिम तारीखों और उनके बैलेट की तारीखों को दर्शाने वाला पुनरीक्षित चार्ट सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है तथापि कुछ माननीय सदस्यों के अनुरोध पर 21 अप्रैल से 9 मई तक के लिए मूल तथा पूर्व निर्धारित बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए पहले से दिए गए प्रश्न की सूचनाओं पर तारीखों के उचित तालमेल के पश्चात् स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

अब सभा 30 अप्रैल, 1997 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 9.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 30 अप्रैल, 1997/10 वैशाख, 1919 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।